

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्र.—697 / 2013

संस्थित दिनांक—06.08.2013

फाईलिंग नं. 234503004942013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन// विरुद्ध //

रविकुमार ग्वाले, पिता सुखचरण, उम्र 24 साल, जाति पनिका
 निवासी ग्राम भीकेवाड़ा थाना परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी// निर्णय //(आज दिनांक—7 / 12 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—26.07.2012 को सुबह करीब 08.00 बजे, स्थान ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादिया इंदरबती बाई के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया/आहत इंदरबती बाई को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादिया इंदरबती बाई ने दिनांक 26.07.2013 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम भीकेवाड़ा में रहती है तथा मजदूरी का कार्य करती है। दिनांक 26.07.2013 की सुबह करीब 08.00 बजे घर के अन्दर चावल फटक रही थी की उसी समय गांव का रविकुमार आया और उससे बोला कि उसका घर वाला उसके घर से दस रुपये उधार लिया है जो नहीं दिया, वह पैसा उसे वापस दे तो उसने पन्द्रह रुपये रविकुमार को दिया और रविकुमार से उसने बोला कि पांच रुपये की तम्बाकू ला देना तो रवि पनिका बोला कि पैसे उधारी ले लेते हैं और समय पर साले नहीं देते हैं तब उसने रवि पनिका से बोला कि उसके पास मत हल्ला कर और

गाली क्यों देता है तो इसी बात पर से रवि पनिका ने बांस की कमची से उसके बांये आंख के नीचे मारा एवं हाथ मुक्के से भी मारपीट की। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी रविकुमार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44/13, धारा 323, 452 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया/आहत इंदरबती बाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-26.07.2012 को सुबह करीब 08.00 बजे, स्थान ग्राम भीकेवाड़ा, थाना परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादिया इंदरबतीबाई के रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादिया/आहत इंदरबती बाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व ग्राम भीकेवाड़ा उसके घर के सामने की है। घटना दिनांक को आरोपी से उसका पैसे की बात को लेकर मौखिक वाद-विवाद हो गया था जिसकी सूचना उसने थाना परसवाड़ा में दी थी। पुलिस ने उसकी सूचना पर रिपोर्ट दर्ज की थी। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगूठा लगाती हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में

हुआ था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार नहीं किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी को उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे बांस की कमची से मारा था एवं आरोपी के द्वारा बांस की कमची से मारने के कारण उसके बांये आंख के नीचे चोट आई थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वह घर के अन्दर चावल फटक रही थी तब आरोपी ने उसे पैसे की बात को लेकर बांस की कमची से मारपीट की। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्वतः कथन किया है कि घटना उसके घर के बाहर की है आरोपी एवं उसके बीच में मात्र मौखिक वाद-विवाद हो गया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्वतः कथन किया है कि पुलिस वाले ने उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं बतायी थी और दो-तीन कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके साथ घर के अन्दर मारपीट की थी एवं उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 का बयान दिया था तथा पुलिस ने उसके बताये अनुसार ही प्रदर्श पी-3 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी के द्वारा की गई मारपीट से आई चोट का ही ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। साक्षी इंदरबती बाई ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— साक्षी सुमेरी (अ.सा.2) ने मुख्यपरीक्षण में किया है कि प्रार्थिया उसकी पत्नी है। वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक-डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह सुबह अपने घर से गांव तरफ गया था जब वह अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी इंदरबती बाई ने उसे बताया कि उसका आरोपी के साथ पैसे की बात को लेकर घर के सामने वाद-विवाद हो गया था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना के बारे में इंदरबती बाई के साथ थाने जाकर सूचना दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी पत्नी इंदरबती बाई के साथ घर के अन्दर

बांस की कमची से मारपीट की थी एवं उसने पुलिस को प्रदर्श पी-4 का कथन दिया था तथा पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से एक बांस की लकड़ी जप्त की थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्वतः कथन किया है कि पुलिस ने दो-तीन कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लिया था। साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी तीरथप्रसाद चौबे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में किया है कि वह दिनांक 26.07.2013 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पर पद पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादिया इंदरबती बाई की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 44/15 धारा 323, 452 भा.दं.वि. के तहत आरोपी रवि के विरुद्ध प्रधान आरक्षक अजय भलावी के द्वारा लेख की गई थी जो प्रदर्श पी-3 है जिस पर प्रधान आरक्षक अजय भलावी के हस्ताक्षर एवं फरियादिया इंदरबती बाई का अंगूठा निशानी है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी उसे विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक 26.07.2013 को इंदरबती बाई की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं फरियादिया इंदरबती बाई का निशानी अंगूठा है। उसने उक्त दिनांक को ही फरियादिया इंदरबती बाई एवं दिनांक 28.07.2013 को साक्षी सुमेरी, भूरा, प्रेमदास के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने अपने अनुसंधान में की गई कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

8— प्रकरण में स्वयं फरियादिया इंदरबती बाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा घर में घुसकर कथित मारपीट किये जाने का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की द्वारा अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को पेश नहीं किया गया है। फरियादिया के पति सुमेरी (अ.सा.2) ने फरियादिया के बताने पर घटना के बारे में अपनी साक्ष्य में तथ्य पेश किये हैं, किन्तु उसने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य में अभाव में अभियोजन का मामला सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

9— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रविकुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादिया इंदरबती बाई के

रहवासी मकान में फरियादिया को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतएव आरोपी रविकुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा बांस की कमची मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)